## (पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में नोटिस) नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

नाम	पुत्र	निवासी ग्राम	
थाना ज	_		
आपको सूचित वि	ज्या जाता है कि थाना	जनपद	पर
पंजीकृत मु0अ0सं0	धारा		की
विवेचना मुझ	द्वारा	की जा रही है। मुकदमे में आप नाम	नजद अभियुक्त हैं
। मुकदमें में 07 वर्ष अथवा	07 वर्ष से कम की सजा होने	के कारण अरनेश कुमार बनाम बिह	ग़र राज्य में मा0
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पा	रित निर्णय व आदेशों निर्देशों वे	के क्रम में आपकी गिरफ्तारी नहीं व	<sub>करते</sub> हुए आपको
इस नोटिस के माध्यम से	सूचित किया जा रहा है कि अ	गप दिनांक को सम	यबजे
		पर मुझ विवेचक के समक्ष	
		दस्तावेजीय इलेक्ट्रानिक व अन्य	
स्वतंत्र हैं।	_		_
यदि आप नोटिस	प्राप्त होने के उपरांत नियत ति	थि, समय व स्थान पर उपस्थित ह	ड़ोकर अपना पक्ष
नहीं रखते हैं तो आपके ि	वेरुद्ध विधिनुसार कार्यवाही वि	<sub>ण्या</sub> जायेगा तथा आपको भारतीय	नागरिक सुरक्षा
संहिता 2023 की धारा 350	(6) के अन्तर्गत गिरफ्तार भी कि	ज्या जा सकता है ।	
			(विवेचक)
		नाम	
		पद	
		थान	Γ
जनपट			